metres and selling it at a low pvice, what the effect will be. The. balance of it will be produced by the private millowners. Now, can they resist the reduction in price? More than half will be produced by the N.T.C, and sold at a lower price. The entire market of polyester fabric is bound to come down to that level,

DR. SHANTI G. PATEL , .(Maharashtra) : In practice, market force works. ,

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : I am not aware of your practices. I am telling you of what we want, to practise. To request what I have said and to add to what I haVe explained just now, I would say that the Government will watch the situation and may take further measures. I would not like to reveal everything about what we want to do in this regard. But I can tefl you that this is our prime concern and we' shall take every measure to see that the benefit is passed on to ihe consumer and every possible measure is taken to make the reduction in prices effective and cheaper polyester fabrics are •available to the lower middle-' class people of this country.

THE' VICE-CHAIRMAN (SHRI R. ' RAMAKRISHANAN) : Now, we shall continue with the discussion on R.P.F. (Amendment) Bill, 1985.

THE RAILWAY PROTECTION • FORCE (AMENDMENT) BILL, 1985—contd.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (अमेंडमेंट) बिल, 1985 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

आज की इस निर्णायक घडी में जब कि "तेजी से विकास" हमारा संकल्प है, श्रद्धेय राजीव जी के मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री श्री बंसी लाल जी एवं श्री सिंधिया जी ने रेल विभाग को नया आयाम दिया है और एक बेहतर परिवहन सेवा के रूप में भारतीय रेल का पहिया गतिमान है ।

भारतीय रेल विश्व में दूसरा एवं एशिया में सब से बड़ा रेल तंत्र है । एक दिन में लगभग 20 मिलियन यात्री तथा एक वर्ष में 263 मिलियन टन माल यातायात का इसे श्रेय है जो कि विश्व में एक रेकार्ड है ।

किसी भी देश की सोशल रीजनल, एकोनामिक एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट में रेलवे की एक महती भूमिका होती है और एक बेहतर सेवा देने के लिए हमारे रेल मंत्री जी वचनबद्ध हैं ।

जनवरी 1985 से रेलों म चौतरफा सुधार के लिये एक विशेष योजना तैयार की गई थी और उस पर त्वरीत कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई । उसके उचित परिणाम भी प्राप्त हुए हैं । रेलवे की पूरी आय जनवरी–मार्च 1984 में 1327.50 करोड़ थी जो 1985 जनवरी–मार्च में 1416 करोड़ हो गई है तथा रेल तंत्र में प्रति यूनिट माल डिब्बा, कुल परिवहन में वृद्धि हुई है ।

जनता की आशंकाओं को पूर्ति के लिए तथा प्रक्षेपित वृद्धि को पूरा करने के लिए भारतीय रेलों को संसाधन मिलना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह स्वयं को सम्पूर्ण आवश्यकता से सुसज्जित कर एक बेहतर जनसेवा के लिए उपलब्ध हो सके । निष्पादन और कुशलता संकेतों में उल्लेखनीय सुधारों के बावजूद भी यात्री और माल टर्मिनल दोनों में बहुत अधिक यांत्रिकरण की आवश्यकता है ताकि यात्रियों और माल यातायात को संभालने की कुशलता में वृद्धि हो सके ।

रेलों के बेहतर कार्य निष्पादन की चार बुनियादी बातें हैं :—

1—संरक्षा,

2—माल संचालन,

3—समय पालन, और

4—ग्राहक संतुष्टि ।

[श्री सुरेश पचौरी]

हमें यह कहने में गौरव प्रतीत होता है कि आज भारतीय रेल इन कसौटियां पर खरी उतर रही है और आगे भी इनके पालन के लिए रेल विभाग प्रयत्नशील है। मान्यवर, कुल राष्ट्रीय योजना व्यय के प्रतिशत के हिसाब से रेलों पर होने वाले खर्च में कमी आती जा रही है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस मामले में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि रेलतंत्र का आगे विकास हो सके। 1985-90 की सातवीं पंचवर्षीय योजना को भी अभी अंतिम रूप दिया जाना है। मेरा सुझाव यह है कि योजना के प्रथम वर्ष के लिए 1650 करोड रुपये का आवंटन जो किया गया है जोकि 1984-85 जितना ही है, इसके अलावा और बजट सहायता राशि जो निरपेक्ष रूप से हर वर्ष एक उचित अनुपात में बढ़ाई जाती है, को 1984-85 के 750 करोड रुपये से घटाकर 700 करोड रुपये कर दी गई है, इसको बढ़ाया जाए। इन वस्तुस्थितियों के दायरे में निवेदन है कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित बजट की इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि रेल सेवा में सुधार, रेल सेवा में आधुनिकता लाने के हमारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके परिसम्पत्तियों के उपयोग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जैसा कि कुशलता संकेतक प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध टन किलोमीटर प्रकट होता है जो 1978 79 के 976 से बढ़कर 1984-85 में 1175 हो गया है। यह संकेतक योजना आयोग द्वारा निर्धारित 1125 के लक्ष्य से आगे निकल गया है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सवारी डिब्बों के रख-रखाव में और सुधार लाने के लिए मशीन द्वारा ढुलाई और सफाई की व्यवस्था करके चुने हुए सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपुओं का भी आधुनिकीकरण होने का प्रस्ताव है। इसके लिए भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तथा प्रक्षेपित वृद्धि को पूरा करने के लिए भारतीय रेल को अतिरिक्त संसाधन मिल सकें उसके लिए भी अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि जो हमें वित्त विभाग द्वारा पैसा मिलना है उसमें पर्याप्त वृद्धि की जाए कुल राष्ट्रीय योजना व्यय के प्रतिशत के हिसाब से रेलों में होने वाले खर्च में जो कमी आती जा रही है वह कमी छठी योजना में घटकर 5.23 प्रतिशत रह गई है, जो कि पहले तीसरी योजना में 15.45 प्रतिशत था। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत हिस्से में इतनी भारी कमी होने पर राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी यह प्रतिकूल टिप्पणी की है कि योजना परिव्यय में उत्तरोत्तर कमी होने से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। डा परांजपे की अध्यक्षता में बनी रेल दर जांच समिति ने यह टिप्पणी की है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस मामले में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाय और रेल तंत्र का और आगे विकास करने के लिए जिसमें कि बदलाव भी शामिल हैं समुचित परिव्यय राशियां उपलब्ध कराई जाएं। 1985-86 के लिए योजना आयोग ने रेलों की यातायात निकासी की क्षमता का जो जायजा लिया था वह 277 मिलियन टन है जिसमें 250 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात भी शामिल है इसकी तुलना में विभिन्न क्षेत्रों द्वार 297 मिलियन टन की मांग की गई है और योजना आयोग द्वारा कम किए जाने के बाद भी इसे 285 मिलियन टन कूता गया था। इस प्रकार रेलों द्वारा परिसम्पत्तियों का पहले से अधिक उपयोग होने के बावजूद रेल परिवहन की मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर चालू वर्ष में ही बहुत बढता जा रहा है। इस बढते हुए अन्तर को रेल तंत्र में भारी निवेश के द्वारा ही पाटा जा सकता है, अन्यथा परिवहन संबंधी गत्यावरोधों से अर्थ-व्यवस्था के पंगु हो जाने की संभावना है जिस तरह कि वह 1978-79 से 1980-81 के तीन वर्षों में रेल व्यवस्थित होने लगी थी।

इन वस्तुस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम स मेरा आग्रह है कि बजट

की जो प्रस्तावित राशि है उसमें पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि रेल सेवा में जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार हो सके ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : श्री रामानंद यादव । अभी आपको कितना वक्त चाहिए ? मैं आपको उतना वक्त दे दूंगा ?

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : आज आप क्यों नहीं दीजिएगा ? लेकिन उप सभापति महोदया, जब बैठती हैं। तो उनकी देने की इच्छा ही नहीं होती है ।

महोदय, मैं इस रेलवे प्रोटेक्शन बिल पर डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता, मैं मुक्तसर में बोलना चाहता हूं । हमारे रेल मंत्री ने प्रोटेक्शन फोर्स को स्ट्रेंग्थेन करने का, रेलवे की प्रापर्टी की सुरक्षा का, रेलवे के यात्रियों के जीवन की सुरक्षा का, प्रोटेक्शन फोर्स को रि-आर्गनाइज करने का, उसे अधिक पावर देने का जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । बड़ा ही उचित कदम उठाया है जिसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी ।

मान्यवर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पहले वाच एन्ड वार्ड डिपार्टमेंट रेलवे का था । वाच एन्ड वोर्ड का काम लूटपाट करना था । कुछ दिनों के बाद आर० पी० एफ० बना तो उसे कुछ पावर दी गई । आज जो बिल आया है उसमें जितनी पावर देनी चाहिए और जिस रूप में इसके उत्तरदायित्व को गहन बनाना चाहिए वह नहीं बनाया गया है वह करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, रेलवे में जो चोरी होती है उसमें अक्सर यह देखा जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों का कन्नाइवेंस रहता है । जहां बड़े-बड़े ट्रांजिट स्टेशन है मुगलसराय और गड़हरा जैसे वहां पर इतनी चोरी है रेलवे प्रापर्टी की कि उसकी इन्तहा नहीं। अखबारों में आप देखते है, मिलिट्री के आर्म्स तक चोरी चले जाते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों के माध्यम से चोरी होती है । रेलवे विभाग को करोड़ों रुपया कम्पनसेशन के रूप में देना पड़ता है । इसको म द्देनजर रखकर सरकार को बिल में कुछ प्रावधान करना चाहिए जिस व्यक्ति की ड्यूटी में इस तरह की घटनाएं हो उसे सजा मिलनी चाहिए ।

यह भी देखा गया है कि प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों के यहां चोरी का सामान रखा जाता है । चोरी करने वाले लोग स्टेशनों के आसपास रहते है, गाड़ी आती है, धीमी होती है तो उस पर चढ़ गए और आगे बढ़ने पर ऊपर से सामान काट-काट कर गिराना शुरू करते हैं। उनके निश्चित स्टेशन रहते हैं जहां ट्रक खड़े रहते हैं या उनका आदमी रहता है जो तत्काल ट्रक या किसी सवारी से सामान घर ले जाते हैं ? यह सब काम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों के माध्यम से ही होता है । इतना ही नहीं करोड़ों रुपए का कोयला, गेहूं, चावल, दूसरा सामान ट्रांजिट स्टेशनों पर जहां ट्रांशिपमेंट होता है एक रेल से दूसरी रेल में वहां चोरी होता है । इसको रोकने के लिए इस विभाग को सक्षम बनाना, शक्ति देना और नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लैस करना अत्यन्त जरूरी है। आज जरूरत इस बात की है कि इस फोर्स को निश्चित रूप से एक अच्छी सुसज्जित और डिटेक्टिव ढंग से ट्रेन्ड फोर्स बनाया जाय ।

हां यह बात ठीक है कि उनकी अपनी ग्रीवियेंसिज है । वह कहते हैं कि रात में लाइन की रक्षा करने के लिए आप कहते हैं रात को डिब्बों की रक्षा करने के लिये उन की आप ड्यूटी लगाते हैं लेकिन उनको टार्च नहीं देते । बरसात के दिनों में उन को छाता नहीं देते । अगर वह ईमानदार है तो ऐसे में उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देने मुश्किल होगा । ऐसे लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। अगर ऐसे ईमानदार लोगों को आप उचित सुविधाएं प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वे गरीबी की वजह से या प्रलोभन की वजह से क्रिमिनल्स से कनाइवेंस करने से बचेंगे और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति से बचाने में सहायक होंगे। तो सरकार को चाहिए की वह उनकी उचित ग्रीवियेंसेज को देखें और पूरा करने की कोशिश करें । आपने एसोसियेशन बनाने का राइट

[श्री रामानन्द यादव]

उन से छीन लिया है । यह ठीक किया है, लेकिन आप डिपार्टमेंटली कोई व्यवस्था करिये कि उनकी ग्रीवियेंसेज को जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जा सके । कभी-कभी ऐसा होता है कि रेलवे के दूसरे लोगों और रेलवे प्रोटक्शन फोर्स के लोगों में काफी टसेल रहती है ।

इसके अलावा हर स्टेशन के पास रेलवे की काफी जमीन है । उसमें कुछ लोग रेलवे कर्मचारियों की कनाईवेंसे से, गुंडों और खराब एलीमेंट्स की सहायता से और जो लोग रेलवे में चोरी करते हैं उन की मदद से दुकान खोल लेते हैं और बाद में वे वहां से हटते नहीं। आज किसी भी स्टेशन पर आप देख लीजिए रेलवे की सबसे अधिक जमीन अवैध ढंग से लोगों ने अपने कब्जे में कर रखी है खास तौर पर बड़े स्टेशन्स पर। सिवान स्टेशन है, या पटना आप चले जाईए किसी बड़े स्टेशन पर आप चले जाए, रेलवे की प्रापर्टी पर अवैध ढंग से रेलवे कर्मचारियों से मिलकर लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं और वे क्रिमिनल्स का अड्डा हो गयी हैं और जब यात्री वहां उतरते हैं तो वे क्रिमिनल्स उन के साथ हो लेते हैं । मुझे याद है, सिवान में एक आदमी पूना से चला था और उसको गोपालगंज जाना था । सिवान में उसको ट्रेन बदलनी थी। सिवान में उसने ट्रेन बदली और वह गोपालगंज की गाड़ी में जाकर बैठा और थावे में क्रिमिनल्स ने उसको इतना पीटा कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं मैं भी उस ट्रेन से दिल्ली आ रहा था उसको गोरखपुर हस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी । उसको कुछ लोगों ने जो उसको जानते थे हथुवा से ले कर आये और मैंने खुद उसको अपने साथ बिठाया और मैं लेकर उसको गोरखपुर गया और उसको अस्पताल से भर्ती करवाया । तो रेलवे के यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो गया है । चंद्रिका राम हमारे बिहार के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रह चुके हैं और दस, 15 वर्ष तक वे एम० एल०ए० रहे। वे जब सिवान से थावे स्टेशन जा रहे थे तो उनका रिवाल्वर इन क्रिमिनल्स ने छीन लिया । तो क्राइम वहां बहुत बढ़ गया है और इसको रोकने के लिये अगर आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को मजबूत करना चाहते हैं तो अवश्य करें । मैं समझता हूं कि आप इन प्वाइंट्स को एप्रीशियेट करेंगे और इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे । होता क्या है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसी को क्राइम करते हुए पकड़ता है और जो स्टेशन है उस राज्य की पुलिस को दे देता है और राज्य की पुलिस उस केस में उसे किस तरह से प्रोसीक्यूट करेगी यह उसे देखना है और आप के आर० पी० एफ० में और राज्य की पुलिस में कोई तारतम्य नहीं होता । इसको आप को देखना चाहिए । आप वकील बहाल करते हैं । वह रेलवे की प्रापर्टी की रक्षा के लिये होता है । रेलवे में जो क्राइम होता है उको देखने का हक उन वकीलों को है या नहीं यह मैं आप से जानना चाहूंगा। सरकारी रेलवे के जो वकील हैं उनको यह पावर है या नहीं ।

5.00 P.M.

मैंने यह कहा कि इस विभाग के लोगों को आपने कुछ पावर दी हैं । इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से काम कर सकें।

इसके साथ ही जो ज़मीन आपके रेलवे-स्टेशनों पर है, जिन पर लोगों का दखल है, जो क्राइम का अड्डा बन गए हैं, जहां से रेलवे की सम्पत्ती की चोरी होती है, इस पर भी आप कुछ न कुछ निर्णय कीजिए ताकि क्राइम कम हों ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : I think the hon.' Railway Minister must be happy to see how great interest is being taken and deep concern is being expressed over the working of the Railways and the Railway Protection Force.

There are two more speakers on the Bill, Shri Bharadwal.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यों तो म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट बिल, 1985

का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं मगर इसका दायरा बड़ा करना चाहता हूं, इसलिए कि किसी शायर ने कहा है —

गिर पड़ूं यार के कदमों पर अगर पी के शराब,

हाथ आया है बहाना मुझे बेहोशी का।

तो किसी तरह रेल का नाम हमारे सामने आया है, इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से और रेल मंत्री जी से भी थोड़ी छूट चाहूंगा। रेलवे के संबंध में इतनी सारी बातें हैं जैसे हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कुछ बातें इसके संबंध में रख पाऊं इसकी इजाजत चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : रेलवे में शराब पीना मना है।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : यह शराब वह शराब नहीं है।

मान्यवर, जो विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने है, दरअसल 1957 में ही एक ऐक्ट बनाया गया था जिसके तहत यह जो संरक्षण बल है वह संगठित हुआ। मगर रेल की जो वर्तमान स्थिति है जिस पर विभिन्न सदस्यों ने, विरोधी दल के सदस्यों ने भी और इस ओर से भी, माननीय रेल मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है, वहां जो चोरियां हो रही हैं, जो वहां दिन रात लूट का बाजार गर्म है, उसकी रक्षा के संबंध में और रेल की सम्पत्ति जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जिस पर 9 हजार करोड रुपए भारत सरकार के लगे हुए हैं, ऐसा उद्योग घाटे में चल रहा है जिसके बहुत सारे कारण हैं। पिछले 5 वर्षों के ही आंकड़े अगर ले लें, 1979 से 1984 तक 785 लाख के माल या सामान की चोरी हुई जिसमें 342 लाख रुपए की रिकवरी हुई। फिर 2939 लाख रुपए के कंसाइनमेंट की चोरी हुई, जिसमें 272 लाख रुपए की रिकवरी हो पाई। गरज यह कि वे जो घाटा हो रहा है यह घाटा दरअसल किसको बर्दाश्त करना, पड़ रहा है। रेलों को चलना ही है क्योंकि वह जन सेवा का आधार है और अगर घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने का एक ही तरीका है रेल मंत्रालय के पास कि वह पैसेंजर भाड़ा बढ़ाये, वह फ्रेट० के पैसे बढ़ाये। इस तरह से उपाय करे जिसका असर जनता की जेब पर पड़ता है। इसलिए न केवल इस उद्योग का सवाल है, बल्कि संपूर्ण देश की जनता की जेब का सवाल है, उन की आर्थिक परिस्थिति का सवाल है और उन पर होने वाले दबाव को बचाने का सवाल है। इसलिए यह सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

यह जो वर्तमान विधेयक हमारे सामने है, इस संशोधन के पारित होने से हमारे संरक्षण बल को अधिक शक्ति मिलेगी। और अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन की दिशा में वह अधिक जवाब दही से काम करने की स्थिति में आ सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक अधिकार जो प्रदान किये गये यह तो सचमुच ही प्रशंसनीय है किन्तु ये अधिकार जो प्रदान किये गये हैं, गुड्स के मामले में, मैटीरियल और फिटिंग के मामले में और रेलवे की अन्य सम्पत्ति के मामले में और जो गाडियों के अंदर चलते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान इस विभाग को रखना चाहिए। और आए दिन जो गाडियों में डकैतियां हो रही हैं जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की, उस ओर ध्यान जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि परसों ही की घटना है। यहां से इर्विन अस्पताल के डाक्टर चले जा रहे थे। ऊटाकमंड में कोई यूरोलाजी की कान्फरेंस होने वाली थी उन्हें दिन दहाड़े तीन चार बजे के लगभग कर्नाटक एक्सप्रैस में भोपाल से दो चार स्टेशन इधर लूट लिया गया। वे ऊटाकमंड में हो रही यूरोलाजी कान्फरेंस में अपने पत्र क्या पेश कर पाते उनके पास तो वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। वे नागपुर से ही पैसे की व्यवस्था करके दिल्ली लौट आए। इतना बड़ा नुकसान

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

हो रहा है पैसेंजर्ज का । मैं मानता हूं इसमें देश का नुकसान है । वे यूरोलाजी पर कुछ काम करने आ रहे थे और प्रतिभावान पुरुष हैं । उनको वापस ही लौट कर आना पड़ा उनके पैसों पर ही नहीं, कपड़ों पर ही नहीं दबाव पड़ा बल्कि दबाव पड़ा उनकी प्रतिभा के विकास पर भी । इस तरह की जब स्थिति आती है तो मजबूरी यह होती है कि वहां से लौटने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह अगर बीच रास्ते में कोई लूटा जाता है तो कम से कम उसके घर वापस जाने तक की कोई व्यवस्था वे करवा सकने में सक्षम हो सकेंगे ? क्या वह कुछ मुआवजा दे सकेंगे । मान लिया जाए किसी डाक्टर के तीन हजार रुपये की चोरी हो गई, उसकी कान्फरेंस छूट गई तो क्या रेलवे का कोई दायित्व नहीं है कि उसको सही सही गन्तव्य स्थान तक पहुंचाया जाए ? मैं यह कहना चाहता था कि यह सुरक्षा बल जिसको आप शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिस को सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, जिन को आर्म्स दे रहे हैं, उनसे क्या आप यह अपेक्षा कर सकते हैं कि कम से कम चलती हुई रेल गाड़ियों के लोगों की वह रक्षा कर सकेंगे ? अगर ये नहीं कर पाते तो मैं समझता हूं कर्तव्य के निर्वहन की दिशा में वह पीछे रह जायेंगे । इस पर मंत्री महोदय को ध्यान रखना पड़ेगा ।

दूसरी जिस बात पर चर्चा है वह जी० आर० पी० है । इसका क्या हाल है ? आप इन दोनों को मिलाकर एक क्यों नहीं कर सकते । मैं मानता हूं मंत्री जी जल्दी इस बात को मानने वाले नहीं हैं । मैं यह भी जानता हूं कि यह ला एण्ड आर्डर का मामला है । और स्टेट का सब्जेक्ट है । फिर भी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि, आज क्या हो रहा है ? यह केवल स्टेट के ला एन्ड आर्डर का सवाल नहीं है । हो यह रहा है कि बिना टिकट गाड़ी के अन्दर कोई पकड़ा गया । मान लीजिए 15 आदमी पकड़े गये और अगले स्टेशन पर जी० आर० पी० के हवाले कर देंगे । उनको हवालात में बंद करवा देंगे । उनकी 15 आदमियों की गिनती पूरी हो गई । पुलिस वाले को अपना कोई आदमी मिलेगा तो वह पांच दस रुपये किसी भिखमंगे को दे देंगे और उसे पकड़ लेंगे । जो सफेद पोश लोग उनके होंगे उनको तो बाहर निकाल देंगे और उनकी जगह पर इन भिखमंगे लोगों को पकड़वा देंगे । क्योंकि नाम पता कुछ होता नहीं है । वे भिखमंगे जुर्माना दे नहीं सकते । इस-लिये उनको जेल की यातना दे देंगे । इस तरह से वे अपनी गिनती पूरी कर लेते हैं । इस प्रकार सरकार उनको जेल में रखेगी, खिलायेगी और पिलायेगी । इसलिये मैं कहना चाहता हू कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई इस तरह का कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कोई एक संबंध सूत्र इन दोनों के बीच बनाइये ताकि दोनों में कोआर्डिनेशन हो पाये । इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वे पुनर्विचार करें और अवश्य ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे रेलवे की हद के अन्दर प्लेट फार्म और रेलवे की जमीन में जो भी क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को सिर्फ स्टेट के ला एण्ड आर्डर का मामला न माना जाय । जैसे हमारे गढ़हरा में अगर कोई अपराध हो जाता है तो मामला बिहार की पुलिस के पास चला जाएगा । मैं चाहता हूं कि आपको इस कंफ्यूजन को हटाकर कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार या संघ सरकार की जवाबदेही हो, आपके पास जवाबदेही हो । जब तक आप इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकालेंगे और अभी जो व्यवस्था है उसके अन्दर मामला बीच में ही लटकाते रहेंगे तो आपको इस दिशा में

सफलता नहीं मिल सकती है, इसकी मुझे पूरी आशंका है । इसलिए आपको इस दिशा में कोई रास्ता निकलना ही चाहिए ।

मैंने पहले भी कहा था कि हम इस विभाग के बारे में पूरी चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन हर एक को छूट मिली, उन्होंने अन्य बातों की भी चर्चा की । ऐसा लगता था कि जैसे रेल बजट पर भाषण हो रहा हो । मैं इतनी छूट तो नहीं लूंगा मगर कुछ निवेदन करना चाहूंगा । किसी सदस्य ने केटरिंग की बात उठाई । हम अब रेलों में एरोप्लेन की कैटरिंग की नकल करने जा रहे हैं । अब रेलों में भी डिब्बा बन्द राजमां और चावल मिलने लगे हैं । लेकिन ये इतने निम्न स्तर के होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको खाना पसन्द नहीं करेगा । आपने उसकी कीमत भी बढ़ा दी है । लेकिन उससे बच्चे का पेट भी नहीं भरता है । पहले भी हम इन्हीं ट्रेन्स से यात्रा करते थे । जिसमें वेजिटेरियन अच्छा खाना मिल जाता था, नान वेजिटेरियन और कोन्टीनेन्टल अच्छा खाना मिल जाता था । लेकिन आज स्थिति यह है कि बन्द डिब्बों में तो आपने खाना देना शुरू कर दिया है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है आप इसको सोफेस्टिकेटड बनाइये, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर प्लेन की व्यवस्था से ही आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको रेलों में भी प्लेन की तरह से सुविधायें देनी चाहिएं । आप भोजन में भी उनकी नकल कीजिये । मुझसे आजकल अक्सर लोग पूछते हैं कि भारद्वाज जी, क्या बात है, आज कल आप दुबले होते जा रहे हैं, उनके जवाब में मैं कहता हूं कि मैं आजकल ट्रेन में सफर ज्यादा करता हूं, भूखा रहता हूं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूं । आप भी रेलवे में सफर कीजिये ।

श्री रामानन्द यादव : आपका मतलब यह है कि प्राइवेट हाथों में केटरिंग दे दिया जाए ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि रेलवे की भोजन की व्यवस्था डिपार्टमेन्टल हो या प्राइवेट हाथों में हो, सवाल यह है कि आपको किस प्रकार का भोजन मिल रहा है । मैं शुरू से ही डिपार्टमेन्टालाइजेशन का पक्षधर रहा हूं । प्राइवेट हाथों की बात मैं नहीं करता हूं और न कभी कर सकता हूं । मैं इसको घृणास्पद बात मानता हूं कि जब हम इतनी बड़ी रेलवे को चला सकते हैं तो केटरिंग को क्यों नहीं चला सकते हैं ? सवाल एफिसिएन्सी का है । चाहे प्राइवेट कन्ट्रेक्टर इसको करे या सरकारी बावर्चीखाने में भोजन बने, पैसेंजर्स को ठीक खाना मिलना चाहिए ।

मान्यवर, मैं कुछ और मुद्दों पर भी बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी की वजह से उन पर नहीं जाऊंगा । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल रेलों का हाजमा बहुत तेज हो गया है । हमारा डायजेशन तो खराब हो चुका है । दिन भर यहां बेंच पर बैठे रहते हैं, एक दो बार ही सदन में बोलने को मौका मिलता है । लेकिन रेलवे का डायजेशन बहुत मजबूत है ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : वे हाजमे की गोलियां खाते हैं ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मैं आपकी बात पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं । उनका हाजमा इतना मजबूत है कि इसी सदन में स्वर्गीय केदार पांडे जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच में रेल लाइन चलायेंगे और इन्हें एक दूसरे से रेल द्वारा जोड़ दिया जायेगा । उसके बाद दो तीन मिनिस्टर ही तो आये लेकिन पता नहीं मंत्रालय किस स्तर पर इस योजना को निगल गया और उसने उसकी डकार तक नहीं ली । इसीलिये मैंने कहा कि रेल विभाग का हाजमा बहुत तेज है । मान्यवर, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सीतामढ़ी एक बहुत पिछड़ा

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

हुआ क्षेत्र है और यह नेपाल की तराई से लगा हुआ है। यह सिर्फ 40 मील का सवाल है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और उसको फिर से कहीं तलशवायें और योजना का एक्सरे करें कि वह किसके पेट में है और वहां से उसको निकाल कर उस योजना को पूरा करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः रेल मंत्री को बधाई देता हूं जो उन्होंने समय पर उचित कदम उठाया और उचित व्यवस्था का प्रावधान किया। धन्यवाद

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Railway Protection Force (Amendment) Bill.

The Indian Railways are the main artery of the nation's inland transport, extending over 61,460 km. They are the Asia's largest and world's second largest state-owned railway system under a single management. The economic, agricultural and industrial development of the country is inextricately interwoven with the railways' development and fortunes. The Railways main objectives has been and will continue to be to provide the necessary infrastructure for the healthy economic development and rapid industrialisation of the country. The Railways have done a lot for promoting the cause of national unity and national intergration, and for this they deserve all praise by all countrymen.

For the successful operation of the railway system, safety and security are the greatest need of the hour. The aims of the Bill are decidedly laudable. As it aims at providing or setting up and constituting an armed force for ensuring the protection and security of the Railway property. This Force should be a well-knit, well-trained, well-disciplined and well-equipped Force, and it must remain under one control, that is, under the control of the Railway Ministry to make it more efficient. All steps should be taken to bring about this unified command or control, and if there are any legal or constitutional difficulties, these should be done away with. The more important thing is that safety of the passengers should also be taken into consideration. In fact, this should be the exclusive responsibility of the Railway Protection Force exclusively. While we mus,t make provisions for the safety and protection of Railway property. It is essential in the fitness of things that there must be more and more emphasis on the safety of the railway passengers and their property, therefore, it it is desirable that the Railway Protection Force should be reorganised under one unified control.

Sir, my hon. friends have made a number of valuable suggestions. I also venture to make a few suggestions. One suggestion • is that exemplary, and deterrent punishment should be given to the Railway staff who are responsible or who have a hand in crimes and with whose connivance these crimes or thefts are committed, as a result of which commodities worth crores of rupees pass into the hands of the gangs, arid the enormous loss is caused to the revenues of Railways. The need of the hour is that all such gangs should be unearthed. It should be the first and the foremost responsibility of the railway force io unearth these gangs. Second thing is this that unfortunately in very many compartments of trains, electric accessories and all other materials are very often missing. So, it should be the duty of the Railway staff to check and to look into all these things and surprise raids should be organized to see to so it that all these materials and accessories which are needed in the railway compartments, are intact and this should be the main and the principal duty of the railway police to see to it that these things remain intact.

Important thing is this that all compartments must be protected by

the railway police. Railway police personnel must be posted in all the compartments and they must be equipped with all the necessary arms and thirdly there is this problem or this great, trouble which the poor passengers have to suffer, that is, if their property or luggage is lost, they have to alight at the other station to lodge the report. Some such arrangement should be made that inside the train, they can lodge their complaints. So, if these steps are taken and at the same time, the railway police personnel are provided with basic amenities like increase in their pay scale and proper accommodation arrangements and arrangements for the schooling of their children in the form of schools, if these are also provided to them. I think that this will definitely go a big way in increasing their efficiency. So I hope and trust that our honourable Minister will take into consideration all these suggestions. With these words, I whole heartedly support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.RAMAKRISHNAN) :'In view the deep interest shown[L] by the Members in this discussion. I am allowing some more Members to speak on this.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, हम रेलवे बिल का तहे दिल से समर्थन करते हैं। मैं कहूंगा कि रेल मन्त्री इसको बहुत विलम्ब से लाये हैं। बहुत दिनों से चर्चा थी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एक मजबूत काफी शक्तिशाली सुरक्षा बल बनाना चाहिये। श्रीमन्, आप जानते हैं कि रेलवे में 95 सौ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, हजारों लोग इसमें लगे हुए हैं, कितने हजार किलोमीटर ट्रैक्स हैं, कितना माल ढोते हैं। एक बात को मानना पड़ेगा कि पैसेंजर और जो माल इसमें हम ढोते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा आज रेलवे विभाग नहीं कर पा रहा है। हमारे रेल मंत्री सदा कहते हैं कि सुरक्षा का मामला राज्यों से संबंधित है। इसी बात को कह कर कि सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है रेल मंत्री महोदय बच जाते हैं लेकिन आज खुशी की बात है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इन्होंने आर्मी की तरह से रखने के लिये बिल लाया है। हमारे विरोध के लोगों ने कहा कि उसके साथ अन्याय होगा। उनके यूनियन के हक को छीन लिया सारी बातों को छीन लिया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी सेना बड़ी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ देश की सीमा की रक्षा कर रही है उसी तरह से हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सेना बल का रूप दिया है। यह उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया है। रेल हमारी सम्पत्ति है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में नेशनल करैक्टर क्यों गिर रहा है? मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र क्या है। हमारी गाड़ियां हैं, दूर संचार सेवा है, हमारे बड़े-बड़े कल कारखाने हैं, यह हमारा राष्ट्र है और जब तक इसकी रक्षा नहीं करेंगे राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ सकती है। आज इस मुल्क में राष्ट्रीय चरित्र के नाम की चीज रह नहीं गई है। हमारे नौजवान प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिनों में तीन चार विधेयक लाये हैं, उन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल लाया है, यह राष्ट्रीय चरित्र की बात है कि हम अमुक दल से जीत कर आते थे और दूसरे दल में चले जाते थे। उस पर प्रतिबंध लग गया। उसी तरह हमारी न्यायपालिका के लिए वे एक अच्छा सा विधेयक ला रहे हैं। अभी आपने देखा कि लोकपाल की बात चल रही है। उसी तरह सीमा सुरक्षा के लिए भी हमारे रेल मंत्री जी ने अगर इस तरह का समुचित और कम्प्रीहेंन्सिव रेल सुरक्षा के लिए बिल लाया है और सेना की तरह सर्विस कंडिशंस में रखा है, तो मैं समझता हूं कि यह बात अच्छी चीज है।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है। म आप[illegible] सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें [illegible] मत नहीं हैं, अनुभव हमारा है और [illegible] मंत्री जी भी हमारे जो हैं, जानते हैं कि रक्षक हमारे भक्षक हो गये हैं, यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो हमारे भाई हैं। लेकिन इसमें बहुत

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

ज्वलंत उदाहरण है कि यह कह देंगे कि अमुक प्रांतों में हुआ, इनके रेलवे जैसे हमारे मुगलसराय का यार्ड है, चाहे ट्रांसशिपमेंट का यार्ड है, चाहे गरहारा का यार्ड है, हमारे बड़े-बड़े इस तरह से हैं, उनकी नित्य हमेशा प्रतिदिन हमारे प्रदेशों के अखबारों में देखेंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कन्नाइवेंस से, इनकी मिली भगत से वहां चोरियां होती हैं, पैट्रोल की गाड़ी, टैंकर से लगा कर, लाईन के बगल में खड़ा करके पैट्रोल में लगा करके वह ड्रम भर करके लोग ले जाते हैं। गल्ले की गाड़ी लगी रहती है, गल्ले से जो ट्रक भरे रहते हैं, वह उनकी कन्नाइवेंस से ही आते हैं।

मैं चाहता हूं कि उनके लिये भी सख्ती की सजा, जिस तरह से कि हमारी आर्मी में, सेना में कोर्ट-मार्शल की व्यवस्था है, इसलिये आप चाहते हैं कि इनको वही दर्जा दें, तो उसी तरह के कानून और अनुशासन में रखें जिस तरह से हमारी आर्मी के साथ अनुशासन की साख है। अगर आर्मी में अनुशासनहीनता होगी—तो हम खतरे में पड़ जायेंगे। आज उनके अनुशासन के कारण ही हम आनन्द के साथ रात में सोते हैं और दिन में चलते हैं।

मैं चाहूंगा कि रेलवे व्यवस्था जो हमारी अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी है, हमारा स्रोत है, जिस पर हमारी अर्थ-व्यवस्था टिकी हुई है, जब हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इस तरह का खतरा है, तो आज हम सब लोगों को इस बात पर चिंतन करना चाहिये। इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर अगर हम किसी तरह का गर्व करते हैं, तो सचमुच में यह बात नहीं है। हमने कहा कि पिछले रेलवे अधिनियम विधेयक संशोधन में पिछले 20 तारीख को हमने रेलवे मंत्री जी से कहा था कि कुछ ऐसे भी हमारे रेलवे के डिब्बे हैं कि जहां पर बल्ब नहीं हैं, बाथ-रूम में रोशनी नहीं है, पंखे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग ले जाते हैं।

मैं चाहता हूं कि अब हम लोगों पर जवाबदेही होनी चाहिये—आप यह कह कर कि भविष्य में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जैसे आप इतना कानून लाये हैं और यह कह कर निकल जायेंगे कि अमुक प्रान्त में, अमुक ब्रांच में, लाईन में पंखे नहीं, बत्ती नहीं, बाथ-रूम की सुविधा नहीं है, लोग ले जाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से अब आप नहीं भाग सकेंगे। आपको सदन ने पूरा विश्वास दिया है, तो आपके आर०पी०एफ० के 70 हजार या 80 हजार परसानल हैं, आप उन पर 59-60 करोड़ रुपया सालाना खर्च करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से जिस मंशा से आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मजबूत बनाना चाहते हैं, जो एक रेलवे की प्रथम चीज है, आप तेजी से गति से सुरक्षित ढंग से हमें पहुंचावें, उस लक्ष्य को पक्चुअलिटी के साथ, नियमपूर्वक हमें पहुंचावें, यही हमारा सुझाव है और जैसा कि हमारे भारद्वाज जी ने कहा कि कहीं-कहीं लोग विषयान्तर भी हो गये हैं। तो मैं उसी तरह सपोर्ट में कहना चाहता हूं कि कैटरिंग के संबंध में—अब रामानन्द जी, फिर खड़े हो जायेंगे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप खड़े न हों। मैं भारद्वाज जी के साथ सहमत हूं, आप खड़े न हों।

आपने कहा कि हम स्टडी करवा कर के, एक रिपोर्ट या सर्वे किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन-कौन सी ट्रेंस में किया? राजधानी का किया, डीलक्स का किया, मगध का किया, और पश्चिम एक्सप्रेस का किया, उसमें अधिकतर मध्यम वर्ग के, ऊंचे लोग चलते हैं। वह चाहते हैं कि सात रुपया या दस रुपये का खाना खायें। मैं चाहता हूं कि तूफान एक्सप्रेस, जयन्ती जनता एक्सप्रेस या हावड़ा-मुगलसराय, इन सब ट्रेंस में गो कामनर, जिसमें भारतवर्ष के अधिक लोग चलते हैं, ऐसी ट्रेंस का सर्वेक्षण करके लोगों को लें कि वह सात रुपये का खाना पसन्द करता है कि साढ़े

तीन-चार रुपये का भोजन दिया करते थे, वह आपका मापदण्ड होना चाहिये।

इसमें मैं चाहूंगा कि ठीक है, सात रुपये का खाना देते हैं, हवाई जहाज की तरह, ठीक देते हैं, वह उसमें पनीर में चमचमाहट के साथ काजू कुछ भी मिला रहता है, चिनिया-बादाम भी कुछ रहता है।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : वह तो नहीं था।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : आप दुर्भाग्य-वश उस जर्नी में नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह संरक्षण आप अन्य साधारण गाड़ियों में भी आप करवायें, तब वह बेसिज मान कर आप उसको चालू करें। यह बात ठीक है कि हम जयन्ती जनता से—हम पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और पूर्वी प्रदेश के लोग और उत्तरी बिहार के लोग पिछड़े हैं। किसी ने ठीक ही कहा यह सौभाग्यवश या दुर्भाग्य-वश, जो हमारे चार रेल मंत्री थे, जो मेरे प्रान्त के थे और वे इस सिद्धांत के थे कि जहां का मैं हूं, वहां का ही मैं प्रतिनिधि नहीं हूं, सारे देश का हूं, जैसे कि हमारे बंसी लाल जी कहते हैं कि मैं हरियाणा का ही नहीं, सारे देश की तरक्की चाहता हूं। वही सिलसिला उन चारों मंत्रियों का था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हुआ। ललित बाबू हमारे रेल मंत्री जी के परममित्र थे। उन्होंने सोचा कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, इसका विकास होना चाहिए। उन्होंने बहुत सी योजनायें बनाई थीं। मैं चाहूंगा रेल मंत्री जी से, विषयान्तर हो रहा है कि कुछ शब्दों की छूट ले ली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र से मैं भी आता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे रेल मंत्री जी बहुत जागरुक हैं, पैसे की भी कमी है, मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र जिससे स्ट्रैटेजिक प्वायंट आफ व्यू से नेपाल भी जुड़ा हुआ देश है, रोड्ज की दृष्टि से चीन भी है, वहां पर यातायात की सुविधा ऐसी हो कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी सामग्री को आसानी से अपने सीमा-वर्ती क्षेत्रों में ला सकें। उस ख्याल से भी उन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। हम बहुत गरीब हैं, गरीब हम बुद्धि में नहीं हैं, साधनों की गरीबी है। अगर यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम सारे भारतवर्ष को एक-दूसरे से मुख्यधारा में जोड़ सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं और जानता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे रेल मंत्री जी ने हरियाणा को तरक्की दी है उसी मुस्तैदी के साथ प्रशासन में भी चुस्ती लाकर दिखायेंगे, क्योंकि आपसे लोगों को बहुत आशायें हैं, खास करके हिन्दुस्तान के लोगों को, बंसी लाल जी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं उनके आने से रेल मंत्रालय अच्छा हो गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने बाद जनवरी में जब सदन में हम बैठेंगे तो उपसभाध्यक्ष जी, मुझे कुछ और ज्यादा बढ़ाई करने का मौका मिले। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हालांकि मेरे नाम की गाड़ी तो छूट गई थी, लेकिन आप ने फिर गाड़ी रोक कर कुछ कहने का मुझे मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कुछ प्रशासनिक और सैद्धांतिक मुद्दों की बात रखना चाहता हूं। एक तो जब रेलवे बल को अधिकार दिया जा रहा है कि गिरफ्तार करने का या उसको एक फोर्स की शक्ल में लाने का जो प्रयास चल रहा है इस में एक मुद्दा उठता है राज्य सरकार के प्रशासन का, राज्य सरकार का प्रशासन भी चलेगा और रेल का भी उसी के बीच में प्रशासन होगा, संविधान के हिसाब से इनको यह अधिकार है ऐसा करने का, लेकिन मैं दूसरी बात भी, इसके साथ करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के साथ जो तारतम्य केन्द्र सरकार का चाहिए उस तारतम्य की कमी है, इसको रेल ने अनुभव किया है। दूसरी चीज जो एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, वह एक-दूसरे का केन्द्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसका भी कोई भरोसा

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

नहीं रहा। तीसरी बात रेलवे को किसी भी राज्य सरकार के ऊपर यह भरोसा नहीं रहा कि ला एंड आर्डर इनके यात्रियों को वह दे सकेंगे। तो एक मुद्दा तो यह है, जिसका इंसाफ रेल मंत्रालय को करना चाहिए, हम क्यों न कहें कि भाई इसकी सुरक्षा की बात करो, क्योंकि इसकी सुरक्षा की बात नहीं हुई ? एक और सवाल जो मैं रेल मंत्री जी से उठाना चाहता हूं वह इसकी रचना का, इसके स्ट्रक्चर का है। अभी इस में जो बात आई है वह अधिकारियों की बात है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर पहले था रेलवे सुरक्षा बल का वह वही रहेगा या कि इसका स्ट्रक्चर पुलिस लाईन पर, सेना की लाईन पर या किस लाईन पर इसका स्ट्रक्चर होगा ? अभी तक तो जो देखा जाता है वह यह है कि इसका जो डिस्पिलिन है वह पूअर है, इसका प्रशिक्षण पूअर है, सेलरी पूअर है, उसी तरह से इसका रहन-सहन, चरित्र वह भी बड़ा पूअर दिखाई देता है।

प्रशासनिक क्षमता जो प्रकट होनी चाहिए चरित्र में अनुशासन में, कर्तव्य में, वह नहीं प्रकट होती है । इसका जो ढांचा है उसकी मंत्री जी क्या रूप देना चाहते हैं ? इसका रूप सेना के ढंग पर देना चाहते हैं या पुलिस के ढंग पर देना चाहते हैं, किस ढंग का इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ? इसकी संख्या 67 हजार हो गई है । 10 हजार राज्य मंत्री बढ़ाने वाले थे । मैं समझता हूं कि इसकी संख्या लाखों में जायगी । तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ?

दूसरा मुद्दा प्रशिक्षण का मुद्दा है : उनमें सेना वाला प्रशिक्षण और अनुशासन चाहिए । इतना ही नहीं, उनको इन्टेलीजेंस विभाग का प्रशिक्षण चाहिए जिससे चाहे चोर हो, डकैत हो, पिकपाकेट हो, उसका पीछा करके उसको पकड़ सकें ।

तीसरे उनमें सेवा का भाव भी हो । देखा गया है कि जब पुलिस को अधिकार मिलता है तो पुलिस उस अधिकार का दुरुपयोग अपने फायदे में करती है । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपने लाभ में उसका उपयोग न करे । इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अच्छी गाड़ियों की ही व्यवस्था सुधरेगी या जो साधारण पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी भी व्यवस्था होगी । यह बात मैं बार-बार उठाता हूं । बड़ी गाड़ियों में सुधार होता है, लेकिन जो साधारण यात्री गाड़ी हैं न उनमें लाइट है, न पंखा है, न पानी की व्यवस्था है, न सीट की व्यवस्था रहती है ।

श्री बंसी लाल : रामराज्य है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद : रामराज्य की परिभाषा आपकी यही है तो गांधी जी ने जो रामराज्य कहा था उसकी आप कल्पना करिए । रेलवे राष्ट्रीय सम्पति है तो सबकी सम्पत्ति है, गिलास उठा कर ले जा सकते हैं सीट उठा कर ले जा सकते हैं— यह विचारधारा ठीक नहीं है । सब से बड़ी बात यह है कि चाहे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी हों जब तक उनमें सेवा का भाव नहीं होगा तब तक कानून के द्वारा कुछ नहीं होगा । जो जुडीशियल प्रोसेस हैं उसमें कहां जा सकते हैं । इसलिए मैंने कहा कि स्टेट के साथ एमेलगेमेंट करना है । इसलिए मैंने कहा कि प्रशिक्षण बहुत बड़ी चीज है । अगर रेल मंत्री जी सचमुच चाहते हैं कि इसमें सुधार हो तो उन्हें सही दिशा देनी चाहिए । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को प्रशिक्षण दिया जाय, वह सेवा करना शुरू करें और यात्रियों की सुरक्षा करें और लोगों को पता लगे उनके व्यवहार से, आचरण से कि हम निश्चिन्त होकर यात्रा कर सकते हैं, हमारी सम्पत्ति भी नहीं जाएगी, जान भी नहीं जाएगी । हमारे यहां गाड़ी रोककर लूटने की परम्परा बनती जा रही है । कोई रोक नहीं पाता, पता नहीं आपका फोर्स कैसे रोक पाएगा । पता लग जाय गैंग को कि इसमें माल रखा है तो कोई नहीं बचा सकता । आपने हाथ

जरा है तो पूरी शक्ति से कीजिए जिससे सचमुच सुरक्षा का वातावरण रेलवे में हो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNA^) : Tt speaker Shrimati Shanti Pahadia.

आप दो मिनट बोलेंगी।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया (राजस्थान) : श्रीमन, पहले तो मैं हमारे मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं उस का समर्थन करती हूं । मंत्री जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने हरियाणा को गुलदस्ते की तरह से सजा दिया है । वैसे ही मैं उम्मीद करती हूं कि वह पूरे भारत में रेलवे का जाल बिछा देंगे ताकि लोगों को राहत की सांस मिले । आज भी यहां की बसों में रेलवे के मुकाबले किराया ज्यादा है । रेलवे का किराया कम है । मैं चाहती हूं कि रेलवे देश में सब जगह हो जाय उससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि रेलवे हमें पटरियों के साथ-साथ जो जमीन हैं उस का सरकार ने कोई सर्वे कराया है या नहीं । अगर उसका सर्वे नहीं किया गया है तो कराया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने उस किनारे की जमीन पर खेती कर रखी है । कहीं किसी ने चावल बो रखे हैं; किसी ने मक्का बो रखी है और इस तरह से उस पर कब्जा कर रखा है । बाद में जब सरकार उस जमीन को लेना चाहेगी तो वे चिल्लायेंगे कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है और उनके मकान गिराये जा रहे हैं । इसलिये अगर रेलवे मिनिस्टर साहब उचित समझें तो उस जमीन की वायरिंग करा दें । मैं इतना ही कहना चाहती हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): ,1 thank . you. That finishes the discussion. The hon. Minister will reply. Shri Bansi Lal ji. j

SHRI BANSI LAL : Mr. Vice Chairman, Sir, I am grateful to tbe hon. Members who participated in the debate. Although the Bill is a very brief Bill, the hon. Members have touched upon so many points out of this Bill as well. I would like to reply to some of them.

Shri Sukomal Sen said that die Railway Protection Force has tailed to protect the railway property. Sir, it is *not so. Let me* tell *you* tbe brief history .f tbe RPF. Prior to 1957 it was Watch & Ward Department ot the Railways, and when the Railway Protection Force Act was passed in 1957 it became a disciplined force. Since then they have been protecting the railway property, but not very effectively, because they were subjected to many vexatious prosecutions. So to avoid tbat and to give them more powers we are making them now as an armed force of tbe Union. He also pointed out tbat the RPF people are in collusion with thieves. Sir, I do not deny this tact. There are such complaints, but not very large number ot complaints. It does not mean that all the RPF people are dishonest or bad, but isolated cases happen sometimes and we take action against tb em and we punish them. Then he also pointed out that higher officers misuse their position to take work Irom the jawants of the RPF It is not so. These days everybody is aware ot his rights and nobody is allowed to do like tbat.

Then, Sir, some hon. Member^ mentioned about the *XBatmJ^***

[Shri Bansi Lal |

association or some other *latum* tor redressal of grivances of the pro tection Force people

Sir, when we ig to make it tie Armed Fora Union, we cannot allow them to have unions. We cannot allow them to have associations. Bui whenever they h any grievances, their grievances will hi. beard l>v the higher authorities and superion effecrs properly..

Shri Sukul said tbat the Govern-in -ni Railway Police and the Railway Protection Force should be merped We cannot do it because the Govern-ment Railway Police is under the State concerned and tie Railway Protection Force h with the Railway Department The Railway Protec-tion Fprce people are the employees ot the Railways whereas tbe Govern-ment Railway Police people are the employees oi tbe State Governments concerned. Shri Sukul also said that the crimes in the not deals with properly by tbe G.R.P. We are trying out level best to make the G.R.P. ,i' and more conscious ib. ni thei duties L have written to the Chief Ministers a number ol times to help using, reducing the crime in the Railways Then he said that they should not be recruited through the Railway Service onmus-sion because there is corruption h. tbe ter uitment. Sir. tbe procedure ni recruiting tbe people or japans tor tbe Railway Protection Fora is not through thf. Railwa-v Serviee Gem-mission 01 Railway Recruitment Board. Their procedure is entirely different. They ate recruited de* pfcrtmeidalh . There is no scope ior corruption.

Shri Mohanarangam pointed out that beggars should not be there. I am in entire agreement with hirn and we Will try to see th a t th e beggars are not there. We will tak'- strlc m isriM 1 to check them.

Thakur Jagatpal Singh said that ecruitment should be made from the selected Army personnel 1 lik:: ihe idea and '. will try my best. to accommodate as many ol th >n as possible

Dr Shanti P^tel pointed ab thi proper training. Arter ihe pass-ing ot this Bill, there will be prop arrangements tor training ot the per-sonnel. Thei bi said tbat the power oj investigation should a^o be given to the R.P.F. Sir, we cannot Jo it because that is the subject Sir.Government and he G.R.P

I was surprised to beat thi 01 Shri Khandelwal- I am sea he is not hee at the mon»er.t, He id that during tbe last tour years. the thefts 1 hat took plate im tbe Roil was were to the e tunc ot 40c ot rupees. I do not know from where tbe hon. Member has taken 1 figures. His figures are baseless and there is *no* truth in them. During the last four years, the total thefts in the Railways were to the tune ot 33.2 crores.' I do ne know from where he has taken his figures oi 400 crores. Another th :ng he said was that some person ot tie Ministe! of State iii the Ministiy ol Railways stopped the trains and committed this and that. Sir, I can assure you tt there is no such man o> tbe' Staie Minister ot Railways who misbehves-. at tie railway stations. The Static Minister ot Railways will be the last person to own such a person and to allow such a person to commit mis-chief. 1 can assure you that such ... persons can never helot g - to Shri.[1] Madhavrao Scindia. He is a thorough gentleman and lie can encourage nobody who is not a gentleman.

Shri Suraj Prasad also gave figures ot 400 crores. That is entirely wrong.

Then, Shri Kalpnath Rai men-tioned two things. One is about good training. About good training, I have said that we will give them good training. Another thing he

pointed out was that those RPF people who connive with, oi- mix the thieves should be di They will not only be dismissed but they will also be sent to jails.

Sir, Shri Bharadwaj mentioned about the food. Sir, we are providing very good meals on the Railways. 11 also m :ntioned that the prices have increased. May I asl one question ? Prices of what commodity '.ave not increased? Prices have increased. We cannot deny this lact. But we are giving them very good meal. *(Interruption)* we are giving very good meals. We are charging Rs. 6 or Rs. 7 per meal. We are providing meals for two and a half rupees also. They can purchase that two and a half ruees meal. Why should they pruchasde this six rupees or seven rupees' meal ? In that *two* and a half rupees meal, they get puri and sabji. That is all. So, that point is baseless,. Sir, Shri Ramanand Yadav was very emphatic that the quality of food has improved. We have managed the ITDC, a Government of India Undertaking, as our consultant for meals and they are giving us very good help. And we are providing very good meals on the trains. Now wo have introduced in some of the trains. And we are going to introduce it on more trains.

Sir, the real features of the present Bill arc that it will enable raising the standard of training, efficiency, and discipline of the Force as also restructuring of its organisation for ensuring better command and control. The members of the Force would have adequate legal powers, protec-" tion for ensuring better security of railway property. -In the absence of a Magistrate or a local police officer, the RPF officers would be able to deal on their own with unlawful assemblies in a grave situation where public security is manifestly endangered. RPF personnel will get protection against harassed "fend vexatious prosecution for acts done in discharge of their official duties under Cr P.C It will enable the Government to impose reasonable restrict on the right to form an association by the members of the Force which will gola long way in enforcing better discipline and uplifting morale of the Fore... So, these are the main features of the Bill.

With these words, Sir, I ren this august House, through you, to pass the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : I question is :

"Thai the Bill to amend the Railway Protection Force Act, 1957, as passed by the- Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : We shall now take up clause by clause- consideration of the Bill.

Clause's 2 (0 19 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRI BANSI LAL : Sir, I to move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN) : We shall take up now Half-An-Hour Discussion.